

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चौदहवां सत्र

मंगलवार, 7 मार्च, 2017/16 फाल्गुन, 1938(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

- (i) स्थगित } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे
(ii) दिन के लिए } जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

- दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा
पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,

निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2013-14 (01-04-2013 से 31-03-2014 तक) (विलम्ब के कारणों सहित); और

- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2015-16 (01-04-2015 से 31-03-2016 तक) ।
- (2) श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 38 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:यू0डी0-ए0-(3)-13/2015 दिनांक 23.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.02.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (3) श्री कर्ण सिंह, सहकारिता मन्त्री, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: आयु0-क-(3)-2/2014 दिनांक 22.08.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.09.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समिति का प्रतिवेदन :

श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 33वां मूल प्रतिवेदन जोकि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा:

दिनांक 3 मार्च, 2017 को श्री जगजीवन पाल, सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा श्री संजय रतन, सदस्य द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा:-

“इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 1 मार्च, 2017 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।”

शिमला-171 004
दिनांक: 6 मार्च, 2017

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(चौदहवां सत्र)

मंगलवार, 7 मार्च, 2017/16 फाल्गुन, 1938 (शक्) के लिए निर्धारित
तारांकित प्रश्न सूची हेतु

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या

शुद्धियां

*3747

'शहरी विकास मन्त्री' को " सिंचाई एवं
जन स्वास्थ्य मन्त्री" पढ़ा जाए।

शिमला-171004.
दिनांक: 06.03.2017

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।